उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

राज्यसात अपील वाद संख्या 15/2017

गीता चौधरी–बनाम–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
19.07.2022	01. प्रस्तुत अपील वाद राज्यसात वाद संख्या 07/2016 (जी0एफ0 संख्या 24/2016) मामले में न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 22.08.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। 02. राज्यसात वाद संख्या 07/2016 में दिनांक 22.08.2017 को पारित आदेश के अनुसार बस संख्या BR-13P-3477 द्वारा दिनांक 24.01.2016 को बडकागांव के जोराकाठ बीट के चपरी वन से अवैध कोयला उत्खनन कर पोडा कोयला बनाकर 152 बोरा कोयला लादकर अवैध रूप से परिवहन करने के क्रम में राज्यसात वाद के तहत वाहन एवं कोयला जप्त है। 03. उपरोक्त वाद में पारित आदेशानुसार बडकागांव के चपरी सुरक्षित अधिसूचित वन क्षेत्र के प्लॉट संख्या 65 से अवैध रूप से कोयला उत्खनन कर पोड़ा कोयला बनाकर जप्त वाहन बस(जो सवारियों के परिवहन हेतु कार्य में लाया जाता है) परिवहन किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में जप्त वाहन भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 (b), 41, 42 के उल्लंघन में संलिप्त पाया गया। 04. अभिलेख के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि राज्यसात अपील वाद संख्या 15/2017 से संबंधित इस मामले में विलम्ब	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

से अपील आवेदन दाखिल करने के फलस्वरूप इस न्यायालय से दिनांक 19.12.2017 को निरस्त किया गया।

05. उक्त आदेश के क्रम में अपीलार्थी के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के न्यायालय में रिविजन वाद संख्या 89/2018 दायर किया गया, जिसपर सुनवाई के उपरान्त अपर मुख्य सचिव के न्यायालय से दिनांक 23.08.2018 को आदेश पारित कर इस मामले को उपायुक्त, न्यायालय, हजारीबाग में प्रति प्रेषित करते हुए पुनः Fresh Order पारित करने हेतु निदेशित किया गया।

06. अपीलार्थी की ओर से दिनांक 28.09.2018 को पुनः अपील आवेदन दाखिल करने के क्रम में इस मामले को सुनवाई हेतु रखा गया।

07. सुनवाई के क्रम में तथा प्रार्थी गीता चौधरी द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्त राज्यसात वाद में जप्त बस की विमुक्ति हेतु अपने लिखित कथन में अपना पक्ष रखा गया कि उनके वाहन बस संख्या BR-13P-3477 को वन कर्मियों के द्वारा एन0 एच0 33 पथ में बरही चौक के समीप जप्त किया गया था। वाहन जप्त करने के समय वाहन के मालिक एवं वाहन चालक उपस्थित नहीं थे। वाहन एवं कोयला जप्त करते समय जप्ती सूची में किसी व्यक्ति की गवाही नहीं लिया गया। जप्त पोड़ा कोयला वन उपज के अन्तर्गत नहीं आता है। जप्त पोड़ा कोयला को छोड़कर वाहन को भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 (5) के तहत मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

08. इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश, अपीलार्थी के द्वारा रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रासंगिक मामले में वन कर्मियों के द्वारा

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

संबंधित बस संख्या BR-13P-3477 में 152 बोरा लदा पोड़ा कोयला (बस जो सवारियों के परिवहन हेतु कार्य में लाया जाता है) के साथ जप्त किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं से कोई स्पष्ट तथ्य संज्ञान में नहीं लाया गया और न ही बस में लदे 152 बोरा कोयला से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल किया गया।

निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने एवं जप्त बस को मुक्त करने का काई औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करने में अपीलार्थी असफल रहे।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश कि प्रति निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.07.26 13:51:46 +05:30
Location: 192.168.100.105